

कठे अहकाम

(नियम 26)

अज अवालक उप खण्ड अधिकारी बडीसादडी (विपक्षीगण) मुकाम  
बनाम मांसा/लाका  
किस मुकदमा नं. 41/18 सन 128

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए



तारीख हुक्म हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

23-4-18

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. ऑर एक्ट का बाद जांच पेश हुआ, जिसे दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया एक पक्षीय बहस सूनी गई। तहसीलदार बडीसादडी को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा विनायक ग्राम 257-260-261 की आन 261 <sup>545</sup> = 6.19 <sup>6</sup> है की विभिन्न आराजीयात की पत्थरगढी विपक्षीगणों की मौजूदगी में की जावे।

प्रार्थी से कमीश्नरी फिस रूपये 2500/- वसूल किये जाकर राजकोष में जमा करावें। पत्रावली में हुक्मनामा जारी होकर फिसल धुनार होकर नम्बर से कम हों।

उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी